

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- 15/वि02-1055/2025-244(आ०)

सेवा में,

प्रशासनिक पदाधिकारी,
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 18.03.26

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) अन्तर्गत पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित छूटे हुए टोलों में पेयजल की व्यवस्था एवं जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, आरा को कुल ₹ 504.66062 लाख (पाँच करोड़ चार लाख छियासठ हजार बासठ रुपये) मात्र की राशि की विमुक्ति।

महाशय,

विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-15/वि02-1056/2024-97 दिनांक-13.01.2025 द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत 'हर घर नल का जल' निश्चय के तहत पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित गैर गुणवत्ता प्रभावित 58,003 वार्डों के 16,124 छूटे हुए टोलों/बसावटों में पेयजल की व्यवस्था हेतु जलापूर्ति योजना के निर्माण के लिए ₹ 361133.23400 लाख (तीन हजार छः सौ ग्यारह करोड़ तैंतीस लाख तेईस हजार चार सौ रुपये) राशि की मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) अन्तर्गत पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित छूटे हुए टोलों में पेयजल की व्यवस्था एवं जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, आरा को कुल ₹ 504.66062 लाख (पाँच करोड़ चार लाख छियासठ हजार बासठ रुपये) मात्र बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0एल0 खाता सं०-PNBPLA006 में उपलब्ध राशि से निम्नतालिका के अनुसार विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	स्वीकृत राशि	पूर्व में विमुक्त राशि	कार्यपालक अभियंता का पत्रांक/दिनांक	अधियाचित राशि	सामान्य मद से वर्तमान में विमुक्ति हेतु स्वीकृत राशि	अनु० जातियों के लिए विशेष घटक योजना मद से वर्तमान में विमुक्ति हेतु स्वीकृत राशि	कुल अद्यतन आवंटित राशि (Col.-5+8+9)	अभियुक्ति
			(लाख में)	(लाख में)						
1	आरा	97/13.01.2025	14752.71000	472.34057	1068/18.03.26	504.66062	137.20617	367.45445	977.00119	SBD-10/2025-26
कुल						504.66062	137.20617	367.45445	997.00119	
कुल आवंटन ₹ 504.66062 लाख (पाँच करोड़ चार लाख छियासठ हजार बासठ रुपये) मात्र।										

3. स्वीकृत्यादेश के अनुसार संबंधित पंचायत के वार्डवार स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटित राशि का व्यय किया जायेगा।

4. वार्डवार व्यय की गई राशि का संधारण प्रमंडल द्वारा किया जायेगा।

5. अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) अन्तर्गत पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित छूटे हुए टोलों में पेयजल की व्यवस्था एवं जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0 एल0 खाता में उपलब्ध राशि संबंधित प्रमंडल के पी0एल0 खाता में उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ-8 एवं 9 में अंकित राशि विमुक्त की जाय।


विश्वासभाजन

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय)

ज्ञापांक :- 15/वि02-1055/2025- 244(आ०) पटना, दिनांक :- 18.03.26
प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- (i) बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) के पी0एल0 खाता के माध्यम से उक्त विमुक्त राशि से स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जायेगा।
- (ii) इस योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा तथा किसी भी हाल में इस राशि का व्यय अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।
- (iii) इस राशि का उपयोग शीघ्र सुनिश्चित कर व्यय की गई राशि एवं उससे कृत कार्यों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
- (iv) निधि की विमुक्ति का अर्थ भुगतान की स्वीकृति नहीं है। राशि की निकासी एवं व्ययन वित्तीय नियमावली/प्रावधानों के अनुसार किया जाय।



(नित्यानन्द प्रसाद)


अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय)

पटना, दिनांक :- 18.03.26

ज्ञापांक :- 15/वि02-1055/2025- 244(आ०)
प्रतिलिपि- सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति/रोकड़पाल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन)/मुख्य अभियंता (उत्तर बिहार/ दक्षिण बिहार/अनुश्रवण)/अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/विशेष पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी-15/ आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना/ अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय)

A